रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221959
CG-DL-E-25092020-221959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2946] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
No. 2946] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 25 सितम्बर, 2020

(आयकर)

का.आ.3296(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 250 की उपधारा(6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्

1. सक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ-(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पहचान विहीन अपील स्कीम, 2020 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं- (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) अधिनियम से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ।

(ii) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में उसका है ;

(iii) “अपील” से अधिनियम की धारा 246क या धारा 248 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा फाइल अपील अभिप्रेत है।

(iv) “अपीलार्थी” से अधिनियम की धारा 246क या धारा 248 के अधीन अपील फाइल करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

(v) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” का वही अर्थ होगा जो धारा 288 की उपधारा (2) में उसका है ;

(vi) “स्वचालित आबंटन प्रणाली” से विवेक के क्षेत्र का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों का जिसके अन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमता और यंत्र विद्वता भी है, प्रयोग करके प्ररूप आदेशों की या यादृच्छिक आबंटन लिए एक एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है ;

(vii) “स्वचालित परीक्षण औजार” से विवेक के क्षेत्र को कम करने की दृष्टी से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों का जिसके अन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमता और यंत्र विद्वता भी है, प्रयोग करके प्ररूप आदेशों की मानकित परीक्षा के लिए एक एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है ;

(viii) “कंप्यूटर साधन” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में उसका है ;

(ix) “कंप्यूटर प्रणाली” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसका है ;

(x) “अपीलार्थी का कंप्यूटर स्रोत” में आय-कर विभाग के पदाभिहित पोर्टल में अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत खाता, अपीलार्थी की रजिस्ट्रीकृत मोबाईल संख्या से संयुक्त मोबाईल एप्प या निर्धारिती का उसके ई--मेल सेवा प्रदाता के साथ ई--मेल खाता सम्मिलित होगा ;

(xi) “अंकीय चिन्ह” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में उसका है ;

(xii) “पदाभिहित पोर्टल” से राष्ट्रीय पहचान विहीन केंद्र के भारसाधक प्रदान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक द्वारा यथा अभिहित वेब पोर्टल अभिप्रेत है ;

(xiii) “ई अपील” से पदाभिहित पोर्टल में अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से ‘ई-अपील’ सुविधा में इलैक्ट्रॉनिक ढंग से संचालित अपीली कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं;

(xiv) “इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख” का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ;

(xv) ‘‘ई--मेल’’ या ‘‘इलेक्ट्रानिक--मेल’’ से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर संसाधन या संसूचना युक्ति, जिसके अंतर्गत पाठ में संलग्नक, चित्र, श्रव्य, दृश्य और कोई अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसे संदेश के साथ संचारित किया जा सकता है, पर सृजित या संचारित या प्राप्त कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है ;

(xvi) ‘‘हैस फंक्शन’’ और ‘‘हैस रिजल्ट’’ के वही अर्थ होंगे, जो उनके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में हैं ;

(xvii) ‘‘मोबाइल ऐप’’ से मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित आय-कर विभाग का एप्लीकेशन साफ्टवेयर अभिप्रेत है, जिसे निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या पर डाउनलोड और इंस्टाल किया जाता है ;

(xviii) "राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र" से अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3क के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अभिप्रेत है;

(xix) ''आरंभक'' का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यक) में हैं ;

(xx) ''रियल टाइल अलर्ट'' से कोई संसूचना अभिप्रेत है, जो उसे इलेक्ट्रानिक संसूचना के परिदान के संबंध में सतर्क करने के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या पर शार्ट मैसेजिंग सर्विस द्वारा या उसके मोबाइल ऐप पर अपडेट द्वारा या उसके रजिस्ट्रीकृत ई--मेल पते पर ई--मेल द्वारा भेजा जाता है ;

(xxi) अपीलार्थी के ''रजिस्ट्रीकृत खाता'' से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाता अभिप्रेत है ;

(xxii) ''रजिस्ट्रीकृत ई--मेल पता'' से वह ई--मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर संबोधिती को इलेक्ट्रानिक संसूचना परिदत्त या संचारित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(क) अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत संबोधिती के इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ख) संबोधिती द्वारा प्रस्तुत किए गए आय-कर विवरणी में अंतिम उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ग) संबोधिती से संबंधित स्थायी खाता संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(घ) संबोधिती के कोई व्यष्टि होने की दशा में, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध संबोधिती का ई-मेल पता ; या

(ङ) संबोधिती के कंपनी होने की दशा में, कंपनी का कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(च) आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को संबोधिती द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता ।

(xxiii) अपीलार्थी की ''रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या'' से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाते के यूजर प्रोफाइल में प्रकट होने वाला अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की मोबाइल संख्या ;

(xxiv) "नियम" से आय-कर नियम, 1962 अभिप्रेत है;

(xxv) ''वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी'' से रियल टाइम में लोगों के बीच संसूचना हेतु विभिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ता द्वारा श्रव्य--दृश्य सिगनलों की प्राप्ति और संचारण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान अभिप्रेत है ।

(2). इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में है ।

3. स्कीम का क्षेत्र (-1) इस स्कीम के अधीन अपील का निपटारा ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र, अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आय के वर्ग अथवा मामले अथवा मामले के वर्ग, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में किया जाएगा।

4. अपील केंद्र,-(1) इस स्कीम के प्रयोजनार्थ, बोर्ड निम्नलिखित की स्थापना कर सकेगा है-

(i) केंद्रीकृत रीति में ई-अपील कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु एक राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र जिसे इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार अपील के निपटारे की अधिकारिता प्रदान की जाएगी;

(ii) ई-अपील कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, जिसे वह आवश्यक समझे, को इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार अपील के निपटारे की अधिकारिता दी जाएगी;

(iii) अपील इकाइयां जिसे वह ई-अपील कार्रवाहियों, के संचालन, निपटान अपील के कार्य को निष्पादित करने को आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत अपील का अतिरिक्त आधार प्रदान करना, यथा उचित आगे की ऐसी जांच-पड़ताल करना, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी, को आगे की जांच करने, अपीलों के स्वीकृत आधार पर सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांगने, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान करना, अपीलकर्ता द्वारा सामग्री का विश्लेषण, मसौदा आदेश की समीक्षा तथा ऐसे अन्य कृत्य जो इस स्कीम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो, भी है;

तथा उनसे संबंधित अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करेगा ।

2. इस स्कीम के अधीन यथा आवश्यक सूचना अथवा दस्तावेज अथवा साक्ष्य तथा अन्य ब्यौरे के संबंध में अपील इकाई तथा अपीलार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा राष्ट्रीय ई-निर्धारण अथवा निर्धारण अधिकारी के मध्य सभी संसूचना राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से किए जाएंगे।

3. उप पैरा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट अपील इकाई के पास निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्

(क) एक या उससे अधिक आयुक्त(अपील)

(ख) बोर्ड द्वारा यथा आवश्यक समझे जाने वाले, आयुक्त(अपील) की सहायता के लिए अन्य ऐसा आयकर प्राधिकारी, लिपिकीय कर्मचारिवृंद, कार्यकारी अथवा परामर्शदाता।

5. अपील में प्रक्रिया:- (1) पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट अपील का निपटारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार इस स्कीम के अधीन किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र स्वचालित आवंटन प्रणाली के जरिए किसी एक क्षेत्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र में विशिष्ट इकाई को अपील समनुदेशित करेगा;

(ii) जहां अपील कर्ता ने अधिनियम की धारा 249 की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात् अपील फाइल की है, अपील इकाई -

(क) यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उक्त समय सीमा के भीतर अपील दाखिल न करने का पर्याप्त कारण या, अपील को स्वीकार कर सकेगी है; अथवा

(ख) अन्य किसी मामले में, अपील अस्वीकृत कर सकेगी, इसकी सूचना राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को देगी;

(iii) जहां अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 249 की उप धारा(4) के खंड(ख) के प्रचालन से छूट के लिए आवेदन किया है, अपील इकाई,-

(क) अपील स्वीकार कर सकेगी तथा अपीलार्थी को लेखबद्ध किए जाने वाले किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से उक्त खंड के उपबंधों के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकेगी,

(ख) किसी अन्य मामले में अपील को अस्वीकृत कर सकेगा,

उसकी सूचना राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को देगा;

(iv) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अपीलार्थी को, यथास्थिति, अपील की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, के बारे में सूचित करेगा;

(v) जहां अपील स्वीकृत की जाती है,-

(क) अपील इकाई अपीलार्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, से ऐसी और सूचना; दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र से अनुरोध कर सकेगी;

(ख) अपील इकाई अपीलकर्ता द्वारा फाइल की गई सूचना, दस्तावेज अथवा साक्ष्य के आधार पर, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र से अनुरोध कर सकेगी;

(ग) अपील इकाई, अधिनियम की धारा 250 की उपधारा(4) के अधीन और जांच करने तथा उससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी को निदेश देने हेतु राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र से अनुरोध कर सकेगी;

(घ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, यथास्थिति, अपीलकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी, को अपील इकाई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अथवा जो अपील कार्यवाहियों से सुसंगत, यथास्थिति, ऐसी सूचना, दस्तावेज अथवा साक्ष्य अथवा रिपोर्ट, को विनिर्दिष्ट तारीख एवं समय के भीतर नोटिस तामील करेगा;

(vi) यथास्थिति, अपीलकर्ता तथा कोई अन्य व्यक्ति, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और समय, अथवा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात विस्तारित ऐसे तारीख और समय के भीतर खंड(v) के उपखंड(घ) में निर्दिष्ट नोटिस का उत्तर राष्ट्रीय पहचान विहीन केंद्र को फाइल करेगा;

(vii) यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और तारीख और समय अथवा इस संबंध में आवेदन के आधार पर विस्तारित किए जा सकने वाले ऐसे तारीख और समय के भीतर खंड(v) के उपखंड(घ) में निर्दिष्ट नोटिस के उत्तर में एक रिपोर्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को प्रस्तुत करेगा;

(viii) जहां, यथास्थिति, अपीलकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा उत्तर फाइल किया जाता है अथवा फाइल राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र ऐसा उत्तर अथवा रिपोर्ट अपील इकाई को भेजेगा तथा जहां कोई ऐसा उत्तर अथवा रिपोर्ट फाइल नहीं की जाती है, अपील इकाई को सूचित करेगा;

(ix) अपीलार्थी ऐसे प्ररूप में, जो राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील का अतिरिक्त आधार, उसके द्वारा फाइल अपील में ऐसे आधार के लोप का कारण विनिर्दिष्ट करते हुए फाइल कर सकेगा;

(x) जहां अपील का अतिरिक्त आधार फाइल किया जाता है ।-

(क) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र टिप्पणियां प्रदान करने के लिए, यदि कोई हों, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी तथा अपील यूनिट को अपील का अतिरिक्त आधार भेजेगा;

(ख) यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट तारीख और समय अथवा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर यथा विस्तारित किए जा सकने वाले तारीख और समय के भीतर अपनी टिप्पणियां राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को प्रस्तुत करेगा;

(ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणियां फाइल की जाती हैं, वहां राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अपील इकाई को ऐसी विवरणियां भेजेगा, और जहां कोई टिप्पणियां फाइल नहीं की जातीं, अपील इकाई को सूचित करेगा;

(घ) यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी से प्राप्त टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् अपील इकाई लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से;-

(क) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील के प्ररुप से अतिरिक्त आधार का लोप दुराग्रहपूर्ण अथवा अतार्किक नहीं था, ऐसा आधार स्वीकार करेगी; अथवा

(ख) अन्य किसी मामले में, अतिरिक्त आधार स्वीकार नहीं करेगी, तथा राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को सूचित करेगी

(xi) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र अपीलार्थी को, यथास्थिति, अतिरिक्त आधार की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के बारे में सूचित करेगा।

(xii) अपीलार्थी, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे प्रपत्र में उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें यह विनिर्दिष्ट करेगा कि यह मामला नियमों के नियम 46क के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आपवादिक परिस्थितियों के अन्तर्गत किस प्रकार आता है;

(xiii) जहां अतिरिक्त साक्ष्य फाइल किया जाता है,-

(क) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र नियमों के नियम 46क के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता पर विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी को अतिरिक्त साक्ष्य भेजेगा;

(ख) यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारणा अधिकारी विनिर्दिष्ट तारीख और समय अथवा राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर यथा अनुज्ञात विस्तारित ऐसे समय के भीतर उपखंड(क) में यथा निर्दिष्ट रिपोर्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को प्रस्तुत करेगा;

(ग) जहां उप खंड(क) में, यथा निर्दिष्ट रिपोर्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र ऐसी रिपोर्ट अपील इकाई को भेजेगा, और जहां ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की जाती है, अपील इकाई को सूचित करेगा;

(घ) यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य अथवा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् अपील इकाई अतिरिक्त

साक्ष्य को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी तथा राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को सूचित करेगी;

(ङ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, यथास्थिति, अपीलकर्ता तथा राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी को अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के बारे में सूचित करेगा;

(xiv) जहां अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार किया जाता है,-

(क) अपील इकाई अपीलीय कार्यवाहियों में ऐसे साक्ष्य पर विचार करने से पहले अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे साक्ष्य की जांच अथवा गवाही की प्रति परीक्षा के लिए अथवा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अथवा गवाही के प्रत्युत्तर में ऐसे साक्ष्य अथवा दस्तावेज अथवा किसी साक्षी को पेश करने के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी को एक अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस तैयार करेगी तथा उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा ऐसा नोटिस राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को भेजेगी;

(ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र उपखंड(क) में यथा निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी को नोटिस तामील करेगा;

(ग) यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट तारीख और समय अथवा राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर ऐसे विस्तारित किए जाने वाले समय के भीतर राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को उपखंड (क) में यथानिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(घ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अपील इकाई को भेजेगा अथवा जहां ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, अपील इकाई को सूचित करेगा;

(xv) यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र या मूल्यांकन अधिकारी राष्ट्रीय पहचान विहीन अपीलार्थी केंद्र से अनुरोध कर सकेगा कि वह अपीलीय कार्यवाही से सुसंगत, अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने या किसी गवाह की जांच करने का निदेश दे।

(xvi) जहाँ खंड (xv) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होता है,

(क) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपीलीय केंद्र, अपील इकाई को ऐसा अनुरोध भेजेगा;

(ख) अपील इकाई ऐसे अनुरोध पर विचार करेगी और यदि उसे उचित समझती है तो एक नोटिस तैयार करेगी-

(क) जिसमें अपीलकर्ता को ऐसा दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश देगी जो वह विनिर्दिष्ट करे; या

(ख) गवाह होने के नाते, किसी अन्य व्यक्ति की जांच के लिए;

और राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को ऐसा नोटिस भेजेगी;

(ग) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, अपीलकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति को, गवाह होने के नाते, उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट नोटिस भेजेगा;

(घ) यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को इस सम्बंध में दिए गए आवेदन के आधार पर, बढाए गए समय के भीतर उप-खंड (ग) में निर्दिष्ट नोटिस पर अपना उत्तर फाइल करेगा;

(ङ) जहाँ, यथास्थिति, अपीलकर्त्ता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर फाइल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र ऐसे उत्तर को अपील इकाई को भेजेगा, या जहाँ ऐसा उत्तर फाइल नहीं किया जाता है, अपील इकाई को सूचित करेगा;

(xvii) जहाँ अपील इकाई किसी निर्धारण या किसी शास्ति में वृद्धि करना या प्रतिदाय की रकम को कम करना चाहती है,-

(क) अपील इकाई एक कारण बताओ नोटिस तैयार करेगी जिसमे, यथास्थिति, ऐसी वृद्धि या कटौती के कारण अंतर्विष्ट होंगे, और राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को ऐसा नोटिस भेजेगी।

(ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपीलीय केंद्र, उप-खंड (क) में यथानिर्दिष्ट नोटिस अपीलार्थी को भेजेगा।

(ग) अपीलार्थी नोटिस में विनिर्दिष्ट समय या इस संबंध में दिए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात ऐसे बढ़े समय के भीतर, अपना उत्तर राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को फाइल करेगा;

(घ) जहाँ अपीलार्थी द्वारा उत्तर फाइल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र ऐसे उत्तर को अपील इकाई को भेजेगा, या जहाँ ऐसा कोई उत्तर दर्ज़ नहीं किया जाता है, वह अपील इकाई को सूचित करेगा।

(xviii) अपील इकाई, यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए उत्तर सहित अभिलेख में उपलब्ध सभी संगत सामग्री, या, यथास्थिति, राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र या मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और कार्यवाही से उद्भूत किसी मामले, जिसमें अपील के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था, के होते हुए भी कि ऐसा मामला अपील में नहीं उठाया गया था, पर विचार करने के पश्चात,-

(क) अधिनियम की धारा 251 के उपबंधों के अनुसरण में एक प्रारूप आदेश तैयार करेगी;

और

(ख) इसमे आरंभ की जाने वाली शास्ति कार्यवाहियों के ब्यौरों के साथ राष्ट्रीय पहचान विहीन अपीलीय केंद्र को ऐसा आदेश भेजेगी;

(xix) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र खंड (xviii) के उप-खंड (क) में, यथास्थिति, प्रारूप आदेश की प्राप्ति पर,-

(क) जहाँ पैरा 13 के खंड (X) अपील में विवादित विवाद्यकों के सम्बंध में देय प्रभार और उपकर सहित कर, शास्ति, ब्याज़ या फीस की कुल रकम, विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए, एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र में, ऐसे आदेश को तैयार करने वाली अपील इकाई से भिन्न, किसी भी अपील इकाई को ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए भेजेगा।

(ख) अन्य किसी मामले में, किसी स्वचालित जांच टूल के माध्यम सहित, बोर्ड द्वार विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंधन कार्यनीति के अनुसरण में प्रारूप आदेश की जांच करेगा, जिसमे यह निर्णय लिया जाएगा कि—

(क) प्रारूप आदेश के अनुसार अपील तैयार की जाए; या

(ख) ऐसे आदेश की समीक्षा करने के लिए, एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से प्रारूप आदेश को किसी भी क्षेत्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र में, ऐसी अपील इकाई से भिन्न इकाई को भेजा जाए जिसने ऐसा आदेश तैयार किया है।

(xx) अपीलीय इकाई, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रारूप आदेश का पुनर्विलोकन करेगा, जहाँ यह निर्णय लिया जाएगा कि—

(क) वह प्रारूप आदेश से सहमत है और राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को ऐसी सहमति के बारे में सूचित करेगी; या

(ख) प्रारूप आदेश में ऐसे परिवर्तन करेगी, जैसा वह ठीक समझे और अपने सुझाव राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को भेजेगी ।

(xxi) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, अपील इकाई की सहमति प्राप्त करने पर प्रारूप आदेश के अनुसार अपील को अंतिम रूप देगा;

(xxii) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, अपील इकाई से परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त करने पर, एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी भी क्षेत्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र में, ऐसी अपील इकाई से भिन्न अपील इकाई को अपील समनुदेशित करेगा, जिसने ऐसा आदेश तैयार किया है या उसका पुनर्विलोकन किया है;

(xxiii) अपील इकाई जिसे खंड (xxii) के अधीन अपील समनुदेशित की गई है, परिवर्तन हेतु सुझावो पर विचार करने के पश्चात---

(क) जहाँ ऐसे सुझाव किसी मूल्यांकन या किसी शास्ति में वृद्धि करने या प्रतिदाय की रकम में कमी करने का आशय रखते हैं, खंड (xvii) में अभिकथित प्रक्रिया का पालन करेगी और खंड (xviii) में अभिकथित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक पुनरीक्षित प्रारूप आदेश तैयार करेगी; या

(ख) अन्य किसी मामले में, खंड (xviii) में अभिकथित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक पुनरीक्षित प्रारूप आदेश तैयार करेगी;

और ऐसे आदेश को शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई हों, जो उसमें आरम्भ की जानी है, के ब्यौरों के साथ राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र को भेजेगी;

(xxiv) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र खंड (xix)के उप खंड (ख) के मद (क) अथवा खंड (xxi)के अनुसार अपील को अंतिम रूप देने के पश्चात अथवा खंड (xxiii)के अनुसार पुनरीक्षित प्रारूप आदेश प्राप्त होने पर, अपील आदेश पारित करेगा तथा-

(क) अपीलार्थी को ऐसे आदेश के बारे में सूचित करेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 250 की उप धारा (7) के अनुसार प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे आदेश के बारे में सूचित करेगा;

(ग) ऐसे आदेश को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, ऐसी कार्रवाई के लिए भेजेगा, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो।

(घ) जहां आदेश में दंड की सिफारिश की गई है, अपीलार्थी को नोटिस देते हुए कारण बताने को कहा जाएगा कि अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन, उस पर शास्ति क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए;

(2) उप-पैरा (1) में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र के प्रभारी अपीली कार्यवाहियों के किसी भी चरण में, यदि आवश्यक हो तो आदेश के द्वारा ऐसे आयुक्त (अपील) के बोर्ड, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया हो, की पूर्वानुमोदन से अपील को स्थानांतरित कर सकता है।

6. दंडात्मक कार्यवाहियां - (1) अपील इकाई, अपील की कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, द्वारा इस योजना के अधीन, जारी किए गए किसी भी नोटिस, दिशानिर्देश या आदेश का अनुपालन नहीं करने पर, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र को किसी भी दंडात्मक कार्यवाही को आरंभ करने की सिफारिश भेज सकती है।

(2) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील उप पैरा (1) के अधीन, सिफारिश के प्राप्त होने पर, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, को नोटिस देते हुए कारण बताने को कहा जाएगा कि अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन, उस पर शास्ति क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए;

(3) अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र को ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय या इस तरह के विस्तारित समय के भीतर, जैसा कि इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है, पैरा 5 के उप-पैरा (1) के खंड (xxiv) के उप-खंड (घ) या उप-पैरा (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करेगा;

(4) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र, एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी भी क्षेत्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र में, किसी विनिर्दिष्ट अपील इकाई को, अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, दर्ज़ कराए गए उत्तर सहित उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित दंडात्मक कार्यवाही शुरु करने की सिफारिश सौंपेगा।

(5) अपील इकाई, दर्ज किए गए उत्तर सहित रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति,

(क) एक प्रारूप आदेश तैयार करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को भेजेगी; या

(ख) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को सूचित करते हुए कारणों को रिकॉर्ड करने के पश्चात शास्ति हटा देगी।

(6) जहाँ अपील इकाई ने शास्ति हटा दी है, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र उसकी सूचनाभेजेगा, या जहाँ अपील इकाई ने प्रारूप आदेश भेजा है, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र ऐसे प्रारूप आदेश के अनुसार शास्ति लगाने का आदेश पारित करेगा, और ऐसा आदेश निम्नलिखित को सूचित करेगा, --

(क) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति; और

(ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारीको ऐसी कार्यवाही के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित है।

7. सुधार कार्यवाही - (1) रिकॉर्ड में किसी स्पष्ट त्रुटि में सुधार करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र, लिखित में पारित होने वाले किसी आदेश द्वारा, जारी किए जा चुके अपने किसी आदेश में संशोधन कर सकता है।

(2) इस योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन, उप-पैरा (1) में संदर्भित त्रुटि में सुधार के लिए निम्नलिखित द्वारा, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को एक आवेदन भेजा जा सकता है,-

(क) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति; या

(ख) प्रारूप आदेश तैयार करने वाली या समीक्षा करने वाली या संशोधन करने वाली अपील इकाई; या

(ग) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति।

(3) जहाँ उप-पैरा (1) में संदर्भित कोई आवेदन राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी भी क्षेत्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र में, किसी विनिर्दिष्ट अपील इकाई को ऐसा आवेदन सौंपेगा।

(4) अपील इकाई आवेदन की जांच करेगी और अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस तैयार करेगी—

(क) किसी अपीलार्थी को या अन्य किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, जहाँ राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, आवेदन दर्ज़ कराया गया है; या

(ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, जहाँ अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति ने, यथास्थिति, आवेदन दर्ज़ कराया हो; या

(ग) किसी अपीलार्थी को या अन्य किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, जहां आवेदन किसी, उप पैरा (2) में निर्दिष्ट अपील इकाई द्वारा दायर किया गया हो; और

राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को नोटिस भेजेगी।

(5) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र अपीलार्थी और अन्य किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, या राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी, जैसी भी स्थिति, को उप-पैरा (4) में संदर्भित नोटिस जारी करके पूछेगा कि उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन गलतियों का सुधार क्यों न किया जाय।

(6) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति, या राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसी विस्तारित की गयी अवधि के भीतर जिसके लिए इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुमति दी गयी हो, उप-पैरा में यथा संदर्भित नोटिस का उत्तर राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र को देगा।

(7) जहां अपीलोकर्त्ता या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति, या राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, उप-पैरा (16) में यथा संदर्भित उत्तर दे देता है तो, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र ऐसे उत्तर को अपील इकाई के पास भेज देगा, या जहां ऐसा कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है, वहाँ वह अपील इकाई को इसकी भी सूचना देगा।

(8) अपील इकाई ऐसे आवेदन और उसके उत्तर, यदि कोई हो, जिसे अपीलार्थी और अन्य किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, या राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी, जैसी भी स्थिति, के द्वारा दायर किया गया हो, पर विचार करने के पश्चात निम्नलिखित के लिए प्रारूप आदेश जारी केरगा,-

(क) गलतियों का सुधार करने के लिए: या

(ख) गलती के सुधार के लिए आए आवेदन को कारण बताते हुये निरस्त करने के लिए;

और ऐसे आदेश को राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र के पास भेज देगा।

(9) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र ऐसे प्रारूप आदेश के प्राप्त होने पर, उप-पैरा (8) में यथा संदर्भित, ऐसे प्रारूप के अनुसार, ऐसा आदेश देगा औ ऐसे आदेश के बारे में निम्नलिखित को सूचित करेगा-

(क) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति; और

(ख) नेशल ई-निर्धारण केंद्र या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति।

8. अपीली प्रक्रिया – (1) इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र के द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील उस आयकर अपील अधिकरण के यहाँ की जा सकती है जिसकी अधिकारिता में ऐसा अधिकारिता का निर्धारण अधिकारी आता हो।

(2) पैरा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, जहां राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र या आयुक्त (अपील) के द्वारा जारी कोई आदेश आयकर अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपास्त कर दिया जाता है या उसे राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र या आयुक्त (अपील) के पास वापस भेज दिया जाता है तो राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र इस योजना के प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी करेगा।

9. सूचना का आदान-प्रदान केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से - इस योजना के उद्देश्य के लिए-

(क) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र और अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी सूचना का आदान-प्रदान केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही होगा; और

(ख) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र, क्षेत्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, निर्धारण अधिकारी और अपील इकाई के बीच के बीच सभी आंतरिक संसूचना का आदान-प्रदान केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही होगा।

10. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अभिप्रमाणीकरण - इस स्कीम के उद्देश्य के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का अभिप्रमाणीकरण निम्न के द्वारा किया जायेगा-

(i) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र, अपना अंकीय चिन्हक करके:

(ii) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति, अपना अंकीय चिन्हक करके, यदि इन नियमों के अधीन उसे अपना आय की विवरणी अंकीय चिन्हक से जमा करना जरूरी हो और अन्य किसी मामलों में अपने अंकीय चिन्हक के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन।

स्पष्टीकरण- इस पैरा के प्रयोजन के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड' का वही अर्थ होगा जो इसके लिये इस नियमावली के नियम 12 में दिया गया है।

11. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डिलिवरी - (1) इस स्कीम के अधीन कोई भी आदेश या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना प्रेषिती के पास, जो कि अपीलार्थी हो, निम्न के माध्यम से भेजा जाएगा-

(क) इसकी अभिप्रमाणित प्रति अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत खाते में डालकर; या

(ख) इसकी अभिप्रमाणित प्रति को अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर भेज कर; या

(ग) अभिप्रमाणित प्रति को अपीलार्थी के मोबाइल ऐप में अपलोड करके और उसको रीयल टाइम एलर्ट जारी करके।

(2) इस स्कीम के अधीन कोई भी नोटिस या आदेश या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना प्रेषिती के पते पर, जो कि कोई अन्य व्यक्ति हो, इसकी अभिप्रमाणित प्रति, ई-मेल पते के माध्यम से भेजा जाएगा और बाद में रीयल टाइम एलर्ट भी जारी किया जायेगा।

(3) इस स्कीम के अधीन किसी भी नोटिस या आदेश या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक संसूचना के प्रति अपीलार्थी अपने उत्तर को अपने रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से भेजेगा और यदि एक बार राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र इसके प्राप्त होने की अभिस्वीकृति दे देता है और उसमें इस उत्तर के सफलतापूर्वक प्राप्त होने की सूचना दे दता है, जिसमें इसका हेश रिजल्ट निहित हो, तो इस उत्तर को अभिप्रमाणित मान लिया जाएगा।

(4) इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भेजने और उसको प्राप्त करने के समय और स्थान के बारे में कोई भी निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार लिया जायेगा

12. केंद्र या इकाई में किसी व्यक्ति का सशरीर उपस्थित होना जरूरी नहीं - (1) इस स्कीम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के संबंध किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र या क्षेत्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र या ऐसी अपील इकाई जोकि इस स्कीम के अधीन स्थापित हो, में किसी आयकर प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।

(2) अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधित्व, यथास्थिति, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है जिससे कि वह इस स्कीम के अतंर्गत अपील इकाई के समक्ष अपना मौखिक बयान दे सके या उपस्थित हो सके।

(3) मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, जो कि क्षेत्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र का प्राभारी हो, जिसके अतंर्गत ऐसी अपील इकाई संस्थापित हो, उक्त पैरा (2) में संदर्भित व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है, यदि उसका यह मत होता है कि ऐसा अनुरोध पैरा 13(xi) में संदर्भित परिस्थितियों के दायरे में आता है।

(4) जहां कि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए ऐसे अनुरोध को मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, जोकि क्षेत्रीय पहचानविहीन केंद्र के प्रभारी हों, के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी सुनवाई अनन्य रूप से वीडियो कांफ्रेसिंग या वीडियो टेलिफोनिक के द्वारा की जायेगी जिसमें ऐसे किसी भी दूरसंचार सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो कांफ्रेसिंग या वीडियो टेलिफोनिक में सहायक होते हैं।

(5) अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति की परीक्षा या उसके कथन का अभिलेखन इस स्कीम के अधीन किसी अपील इकाई के आयुक्त (अपील) के द्वारा किया जाएगा और इसे अनन्य रूप से वीडियो कांफ्रेसिंग या वीडियो टेलिफोनिक के द्वारा ही किया जाएगा जिसमें ऐसे किसी दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी सम्मिलित है जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वीडियो कांफ्रेसिंग या वीडियो टेलिफोनिक में सहायक होता है।

(6) बोर्ड ऐसे स्थानों पर जहां आवश्यक हो, वीडियो कांफ्रेसिंग या वीडिया टेलिफोनिक के लिए उपयुक्त सुविधाओं की स्थापना करेगा जिसके अंतर्गत ऐसे दूरसंचार सॉफ्टवेयर भी आयेंगे जिनसे विडियो कांफ्रेसिंग या वीडिया टेलिफोनिक में मदद मिलती हो, जिससे कि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत व्यक्ति या अन्य किसी व्यक्ति को इस स्कीम के लाभ से मात्र इस आधार पर वंचित न होना पड़े कि ऐसा अपीलार्थी या उसके प्रतिनिधि या अन्य किसी व्यक्ति वीडियो कांफ्रेसिंग या वीडियो टेलिफोनिक अपनी ओर से करने में असमर्थ है।

13. रूपविधान, तरीका, कार्यवाही और प्रक्रिया को निर्धारित करने की शक्ति - प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, जोकि राष्ट्रीय पहचानविहीन केंद्र का प्रभारी हो, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र क्षेत्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र और इस स्कीम के अधीन स्थापित अपील इकाई को स्वचालित या यंत्रिकृत वातावरण में काम करने के लिए मानदण्ड प्रक्रिया और कार्यवाही का निर्धारण करेंगे जिसमें निम्नलिखित से संबंधित रूपविधान, तरीका, कार्यवाही और प्रक्रिया भी आते हैं, अर्थात्;

(i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना का जारी किया जाना;

(ii) ऐसी नोटिस, आदेश या अन्य किसी संसूचना के उत्तर में संबंधित व्यक्ति से जानकारी या दस्तावेज प्राप्त करना

(iii) संबंधित व्यक्ति के उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;

(iv) 'ई-अपील' की सुविधा जारी करना जिसमें लॉगिंग खाता सुविधा, ट्रेकिंग स्टेटस ऑफ अपील, सुसंगत ब्यौरों का प्रदर्शन और डाउनलोड सुविधा भी आती है;

(v) सूचना और उत्तर का निर्धारण, सत्यापन और अभिप्रमाणीकरण, जिसमें अपीली कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज भी आते हैं;

(vi) जानकारी या रिकॉर्ड की केन्द्रीकृत तरीके से प्राप्ति संचयन और पुर्नप्राप्ति;

(vii) केंद्र और इकाईयों से संबंधित साधारण प्रशासन और शिकायत समाधान तंत्र;

(viii) अपील के लिए अतिरिक्त आधार को दायर किया जाना;

(ix) अतिरिक्त साक्ष्य को दायर किया जाना;

(x) पैरा 5 के उप-पैरा (1) के खंड (xix) के उप-खंड (क) में संदर्भित विनिर्दिष्ट राशि;

(xi) परिस्थितियां, जिनमें पैरा 12 के उप-पैरा (3) में य संदर्भित व्यक्तिगत सुनवाई को अनुमोदित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 76/2020/फा.सं.370142/33/2020टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव